

23/8/22

पत्रावली पेशा इड्डा, कमीलवादी उपस्थित
 परिषदी सं. 04 के अधिकारी उपस्थित।
 प्रकरण में परिषदी सं. 1 से 3 व 5 में 17
 की गमील रिजोए अण्डा परका सऊद
 उपर। प्रकरण में परिषदी सं. 04 के
 अधिकारी ने जवाब नहीं देना चाला वस्तु
 काल का निवेदन किया वहन सुनी गया
 बरत के डोान परिषदी सं. 4 ने न्यायालय
 का च्यान सूच में पाठित प्र० सं. 33/18 वर
 रामलाल वऽ अंबर लाल की ओर
 अकृषित कर कवन किया कि वाडवाल
 आराजिमर पर सूच में पक्षकारानु के
 मध्य प्र० सं. 33/20 वर अंबर लाल वऽ रसाल
 में प्राथमिक डिडी जारी कर तहसीलवा कोस
 से विभाजन प्रदाव में साथे जाने हे प्रथम

उपखंड अधिकारी पते
 विभाजन प्रदाव में

उपखंड अधिकारी पते
 सहायक कलक्टर हुसम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जन
 कोडा (मीलवाडी) मांझु कोडे - रासुंगल कोडे

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुसम की तारीख
 में जारी हुए

है, कि वाडवाल आराजिमर एव परच्यार
 परी वाड विभाजन का डेकर समन आराजिमर
 का डेने उरु वाड को प्र० सं. 33/18 वर
 रामलाल वऽ अंबर लाल के साथ सलगन
 का समेकित काल का निवेदन किया
 प्रकरण में उपखंड अधिकारी पर रसाल
 रिजोए का अवलोकन किया गया परिषदी
 सं. 04 के अधिकारी खाडा कवन करने से
 रामलाल वऽ अंबर लाल प्र० सं. 33/18 वर
 की पत्रावली सिगाए से तलब कराया जाय
 पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में
 वाडवाल आराजिमर एव पक्षकारानु
 विभाजन का डेने से उरु प्रकरण का
 सूच वाड रामलाल वऽ अंबर लाल प्र० सं.
 के साथ समेकित डिडे जाने के मांझु
 डिडे जाते हे। पत्रावली प्र० सं. 33/18 वर
 रामलाल वऽ अंबर लाल के साथ सलगन ली।

उपखंड अधिकारी पते
 सहायक कलक्टर कोडा

